Plan for Employment of Women

777. SHRI M.A. BABY:
SMT. SARALA
MAHESHWARI:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have any special plan for women employment both in the urban and rural sectors; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (Shri P.A. SANGMA): (a) and (b) Employment is a thrust area of the Eighth Five Year Plan (1992-97). Accordingly, a growth strategy for accelerated employment generation is envisaged in the Plan. The strategy for employment of women has been integrated with the overall employment strategy. In addition, steps are being taken to expand training opportunities for women to enhance their access to employment. Special employment programmes being emplemented for women include: (i) Support to Training-cum-Employment Programme, (ii) Setting up of Employment and Income Generating-cum-Production Centres for Women, (iii) Socio-economic Programmes for Women, (iv) Women's Development corporations and (v) a sub-scheme of the integrated Rural Development Programme (IRDP) called Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA). Women form a special target group in poverty alleviation programmes. 40% of the beneficiaries covered under IRDP and 30% of the beneficiaries under Jawahar Rozgar Yojana (JRY) are to be women, and efforts are made to ensure that 30% of the beneficiaries of the two schemes under Nehru Rozgar Yojana (NRY), namely, the scheme of Housing and Shelter Upgradation and the Scheme of *Micre* Enterprises, are women.

केन्द्रीय बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड का गठन

778. **चौ हरमोहन सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुरूपदस्वामी समिति की अनुशंसा के अनुरूप बाल श्रमिक प्रकोष्ठ, केन्द्रीय बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड और बाल श्रमिक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इनका गठन किस तारीख को किया गया है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त निकायों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) (i) श्रम मंत्रालय में 1979 में बाल श्रम की स्थापना की गई है। सैल का संबंध बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करे, उनमें समन्वय स्थापित करने और उनका कार्यान्वयन करने से है। सैल सरकारी और गैर-सरकारी कार्यवाही के माध्यम से कार्यस्थल पर बालकों के कल्याण के कार्य में भी लगा हुआ है।

(ii) बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का गठन प्रारंभ में 4-3-81 में किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है। बोर्ड का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित विद्यमान विधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, कामकाजी बालकों के कल्याण के लिए वैधानिक उपायों और कल्याणकारी उपायों का सुझाव देने, उन उद्योगों और क्षेत्रों की सिफारिश करने जिनमें बाल श्रमिकों की उत्तरोत्तर समाप्ति होनी चाहिए, को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बोर्ड ने विख्यात न्यायविद डा० एल०एम० सिंघवी की अध्यक्षता में गठित बाल श्रमिकों से संबंधित कार्यदल की सिफारिशों की छानबीन की थी।

(iii) अधिनियम की धारा 3 की अनुसूची में अन्य व्यवसायों/संक्रियाओं को शामिल करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 3-8-1987 को बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति की तीन बैठकें हुई हैं और उसकी सिफारिशों के आधार पर अब तक एक व्यवसाय और तीन संक्रियाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है। अपनी पिछली बैठक में बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति ने और 15 संक्रियाओं को अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है।